संख्या–381/79–6–2016–1869/2015

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊः दिनांकः 05 मई, 2016

विषय–राज्य योजना वर्ष 2016–17 में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू में अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सप्ताह में एक दिवस ताजा एवं मौसमी फल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक–म0भो0प्रा0/10909/2015–16 दिनांक–05.03.2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत साप्ताहिक मेन्यू में अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सप्ताह में एक दिवस ताजा एवं मौसमी फल निम्नानुसार वितरित किये जायेंगे :–

(1) प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाने हेतु छात्र–छात्राओं को सप्ताह में एक दिन मौसमी एवं ताजे फल वितरित किये जायेंगे, जिसके दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर सुगमता से उपलब्ध ताजे एवं मौसमी फल यथा– अमरूद, केला, सेब, संतरा, नाशपाती, चीकू, आड़ू, शरीफा आदि वितरित किए जा सकते हैं।

(2) शैक्षिक सत्र वर्ष 2016–17 में ग्रीष्मावकाश के उपरान्त प्रथम सोमवार से योजना प्रारम्भ की जायेगी। योजनान्तर्गत प्रत्येक सप्ताह में एक दिवस प्रति छात्र एक फल वितरित किया जाना है, जिस हेतु रू0–4/– (चार रूपये) फल की अनुमानित लागत आकलित की गयी है।

(3) फल वितरित किए जाने का दिवस **"सोमवार"** निर्धारित किया जाता है, जिससे कि छात्रों को रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को विद्यालय में फल प्राप्त होने का आकर्षण बना रहे एवं रविवार को फलों की व्यवस्था सुचारू ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। सोमवार को अवकाश होने की दशा में अगले शिक्षण दिवस में फल वितरित किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत छात्रों को फल सुबह स्कूल आते ही 'मॉर्निंग स्नैक' के रूप में दिया जाए, इससे उन्हें पठन–पाठन के पूर्व वांछित मात्रा में कैलोरी प्राप्त हो सकेगी तथा फल एवं मध्यान्ह भोजन खाने के बीच में पर्याप्त अंतराल भी रहेगा।

(5) योजनान्तर्गत छात्रों को कटे फल यथा–पपीता/तरबूज/खरबूजा इत्यादि वितरित नहीं किए जाएंगे, ताकि फलों में किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका न रहे तथा किसी भी दशा में बासी, सड़े–गले व खराब फल वितरित नहीं किए जाएंगे।

(6) वितरित किए जाने वाले फल का वजन एवं आकार औसत होना चाहिए। यदि फल औसत आकार से छोटा है तो उस फल की संख्या बढ़ा दी जाए। छात्र–छात्राओं को फल अच्छी तरह धोकर वितरित किए जाएंगे।

(7) योजनान्तर्गत विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति (एसएमसी) के सदस्य भी फल वितरण के समय उपस्थित रहेंगे।

(8) योजनान्तर्गत फल वितरित किए जाने हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि भी **"फल"** नामक मद के अन्तर्गत **"मध्यान्ह भोजन निधि"** में अंतरित की जायेगी, जो कि परिवर्तन लागत की भांति आवश्कतानुसार खाते से आहरित की जायेगी तथा स्थानीय स्तर पर फल क्रय किये जायेंगे।

(9) शासन द्वारा जनपद की अनुमोदित छात्र संख्या के अनुरूप फल वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति **माह अप्रैल एवं सितम्बर** में निर्गत की जायेगी।

(10) उक्त धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त किया जायेगा।

(11) योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं सफल संचालन हेतु योजना प्रारम्भ होने को **फलाहार वितरण दिवस** के रूप में आयोजित किया जाए, जिसमें जिले के जिलाधिकारी के नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/ खण्ड विकास अधिकारी एवं जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर इस फलवितरण दिवस में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त योजना के सफल संचालन के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों यथाः–मा0 सांसद/मा0 विधायकगण/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत/नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी योजना के शुभारम्भ दिवस में आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए।

कृपया उक्त योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन सुनिश्चित कराएं तथा प्रति सप्ताह जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त कर फल–वितरण सम्बन्धी सूचना शासन को भी नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

02/05/16

(अजय कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ ।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
4– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 ।
5– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
6– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।